संख्या—147

रजि. नं. एस. डब्लू./एन0. पी. 698

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 10 जुलाई, 1998

आषाढ़ 19, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1305/सत्रह-वि-1—1 (क) 12-1998

लखनऊ, 10 जुलाई, 1998

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 9 जुलाई, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1998

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1998)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 5 मई, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947 की धारा 5-क का संशोधन

2--संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5-क में, खण्ड (ग) में शब्द "ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत से भिन्न, किसी स्थानीय प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत से भिन्न, किसी स्थानीय प्राधिकारी, या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या निगम" रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द "उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों" के स्थान पर शब्द "तत्कालीन समस्त सदस्यों" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 95 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 95 में, उपधारा (1) में, खण्ड (छ) में, उप खण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(3-क) उसने किसी ऐसे मिथ्या घोषणा-पत्र, जिसे उसके द्वारा यह अभिव्यक्त करते हुए कि वह यथास्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है, हस्ताक्षरित किया गया हो, के आधार पर यथास्थिति, धारा 11-क की उपधारा (2) या धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त किया हो;"

निरसन और अपवाद

5--(1) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1305 (2)/XVII-V-1—1(KA)-12-1998

Dated Lucknow, July 10, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 9, 1998.

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) ACT, 1998

[U. P. Act No. 21 of 1998]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947.

It is hereby enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Act, 1998.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 5, 1998.

Amendment of section 5-A of U.P. Act no. 26 of 1947

2. In section 5-A of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (*c*) *for* the words "local authority, other than a Gram Panchayat or Nyaya Panchayat", the words "local authority, other than a Gram Panchayat or Nyaya Panchayat or a Board, Body or Corporation owned or controlled by a State Government or the Central Government" shall be *substituted*.

Amendment of section 14

3. In section 14 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1) *for* the words "members present and voting" the words "all the then members" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (2) *for* the words "one year" the words "two years" shall be *substituted*;

(*c*) in sub-section (3) *for* the words "a year" the words "two years" shall be *substituted*.

Amendment of section 95

4. In section 95 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (*g*), *after* sub-clause (iii) the following sub-clause shall be *inserted*, namely:—

"(*iii-a*) has taken the benefit of reservation under sub-section (2) of section 11-A or sub-section (5) of section 12, as the case may be, on the basis of a false declaration subscribed by him stating that he is a member of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the backward classes, as the case may be;"

U. P. Ordinance no. 4 of 1998

Repeal and Saving

5. (1) The Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 1998 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 63 सा० विभा०—(729)—1998—850 (मैके०)।